न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 24/15 प्रार्थना–पत्र **निर्णय दिनांक**-27/8/19

बउनवान

1. गजेन्द्र कुमार पुत्र सुवालाल जाति ब्राह्मामण निवासी सावनभादौ तहसील कनवास।

वादीगण

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा।

प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री गिरजानंदन गौत्तम
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री बद्रीलाल मेरोठा।

प्रार्थना–पत्र वास्ते राजीनामा एवं डिक्री बउनवान मूर्ति मन्दिर मथूरेश जी बनाम गजेन्द्र कुमार पुत्र सुवालाल मिसल नबंर 835/98 दिनांक 21.09.2007 की पालना में भेंट राशि जमा कराये जाने बाबत अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवान का एक प्रकरण माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88,180, 183 आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत जेरकार था। जिसमें दिनांक 21.09.2007 को दोनों पक्षकारों की सहमति से राजीनामा डिक्री होकर फैसल हुआ। राजीनामा मय आदेश व डिक्री पेश है। प्रार्थी प्रतिवादी व विवादित भूमि का रिकॉर्डेड पीढी दर पीढी 60 वर्षों से लगातार रिकॉडेड खातेदार की हैसियत से कृषि कार्य करते हुये काबिज हैं।

यह कि राजीनामा अनुसार वादी प्रतिवर्ष 200/– प्रति बीघा की दर से भेंट स्वरूप राशि प्रतिवादी को अदा करता रहेगा। और यह राशि प्रतिवर्ष 15 मई तक अदा की जावेगी। जिसकी पावती नियमानुसार जारी की जायेगी। भेंट राशि में 5 वर्ष की अवधि के अंतराल पर 5 प्रतिशत की वृद्वि की जावेगी। उक्त भूमि पर वादी पीढी दर पीढी बहेसियत खातेदार काश्त करते रहेंगे। राजीनामा की मद नबंर 06 के अनुसार वादी भेंट राशि का भुगतान करने में लगातार 02 वर्ष की चूक करता है, तो ऐसी स्थिति में भेंट वसूलने का अधिकार प्रतिवादी को होगा तथा विधिवत बेदखली की कार्यवाही का अधिकार होगा।

यह कि प्रार्थीगण राजीनामा डिक्री की पालना में प्रतिवर्ष समयावधि में भेंट राशि अदा करता चला आ रहा है, जिसमें आज तक किसी प्रकार की चूक नंही हुई है। वादी वर्ष 2013 की भेंट राशि दिनांक 07.06.2013 को जर्ये रसीद नबंर 763 राशि 6360 जमा करा दी थी। इसके पश्चात वर्ष 2014 की भेंट राशि जमा कराने के लिये मंदिर कार्यालय में

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रार्थी उपस्थित हुआ परन्तु अधिकारी के नंही मिलने के कारण बाद में आने को कहा इसके पश्चात निरन्तर प्रयास करने के बावजूद वर्ष 2014 की भेंट राशि जमा कराने में टालमटोल करने पर प्रार्थी प्रतिवादी ने दिनांक 05.05.2014 को जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. पत्र भेंट राशि जमा कराने हेतु पंजाब नेशनल बैंक के डी.डी. नबंर 672811 दिनांक 05.05.2014 का राशि 13360 रूपये का संलग्न कर मय रसीद क्रमांक क्रमांक 763 दिनांक 07.06.2013 रूपये 6360 की फोटो कॉपी व नकल निर्णय राजीनामा डिक्री 21.09.2007 की फोटो कॉपी संलग्न कर प्रेषित की इसके पश्चात मूर्ति मंदिर द्वारा आज तक उक्त डी.डी. रूपये 6360 की रसीद प्रार्थी प्रतिवादी को नंही दी बल्कि रसीद देने के बजाय दिनांक 30.04.2014 को रितेश मेवाडा एडवोकेट द्वारा एक रजिस्टर्ड लीगल नोटिस प्रार्थी प्रतिवादी को गैरकानूनी व असत्य तथ्यों के आधार पर प्रेषित किया था जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा मूर्ति मंदिर को दिनांक 05.05.2014 को भेजे गये डी.डी. की जमाशुद्वा भेंट राशि 13360 की रसीद देने के लिये लिखा जिसका आज तक कोई मुर्ति मंदिर मथुरेश जी के कार्यालय से कोई जवाब प्राप्त नंही हुआ है।

यह कि प्रार्थी प्रतिवादी निर्णय के बाद से लगातार भेंट राशि जमा कराता आ रहा है। जिसमें कभी किसी प्रकार की चुक नंही हुई है।

यह कि वादी का पूरा परिवार उक्त कृषि भूमि की आय पर पूर्ण रूप से आश्रित है। वादी की पुस्तैनी खातेदारी की कृषि आराजी को हडप कर बेदखल करने की नियत से वादी द्वारा प्रस्तुत भेंट राशि का डी.डी. की रसीद आज तक प्रार्थी प्रतिवादी को नंही दी है। जिससे प्रतिवादी द्वारा राजीनामें का स्पष्ट उल्लघंन का पता चलता है। प्रतिवादी कैसे भी करके 15.05.2015 तक की अवधि निकालना चाहता है, जिससे वादी राजीनामें का डिफाल्टर हो जावे जो न्याय के विरूद्व है।

यह कि प्रतिवादी भेंट स्वरूप राशि को जानबुझकर जमा नंही कर रहा है क्योंकि प्रतिवादी की नियत में तभी खोट आ गया था, जब वादी प्रथम बार माह अप्रेल 2014 में राशि जमा कराने गया था और वादी को परेशान करके दो वर्ष का समय निकालना चाहते थे जिससे प्रतिवादी प्रार्थी के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही कर सके। प्रतिवादी भेंट राशि जमा नंही करके माननीय न्यायालय के आदेश उल्लंघन कर रहे हैं जो न्याय विरूद्व है।

प्रार्थी द्वारा अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी को वर्ष 2014 व आगे के वर्षों की भी भेंट स्वरूप राशि प्रतिवर्ष जमा किए जाने के आदेश फरमावें विकल्प में माननीय न्यायालय में जमा करवाई जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा तलवी अप्रार्थी को की गई। अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत हुये। ,बहस सूनी गयी, प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि राजीनामा डिक्री होकर फैसल हुआ। प्रार्थी विवादित भूमि पर 60 वर्षों से कृषि कार्य करते हुऐ आ रहे हैं। राजीनामा अनुसार प्रतिवर्ष 200/– प्रति बीघा की दर से भेंट स्वरूप राशि जमा कराने के आदेश 15 मई तक अदा करने एवं पांच वर्ष की अवधि के अन्तराल में 5 प्रतिशत की बढोतरी की जायेगी। प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि हम समय–समय पर 200/– प्रतिबीघा मुताबिक राजीनामा जमा करा रहे हमारे द्वारा दिनांक वर्ष 2013 की भेंट राशि 07.06.2013 को जर्ये रसीद 763 राशि 6360 जमा करा दी थी। इसके पश्चात वर्ष 2014 की भेंट राशि जर्ये डी0डी0 क्रमांक 672811 दिनांक 05.05.2014 को भेंट राशि रूपये 13360 जमा कराये जिसकी रसीद प्रार्थी को नंही दी। प्रार्थी निर्णय के पश्चात लगातार भेंट राशि जमा करता आ रहा है, अप्रार्थी 02 वर्ष का समय निकालना चाहते हैं, जिससे प्रार्थी डिफाल्टर हो जाते हैं, जिससे प्रार्थी डिफाल्टर हो जावे। तथा प्रार्थी के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही कर सके। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा राजीनामें का उल्लघंन किया जाकर प्रार्थी को बेदखल किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

बहस अप्रार्थी सूनी गई अप्रार्थी द्वारा अपने तथ्यों में बताया कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2014 के बाद प्रार्थी द्वारा कोई राशि जमा नंही कराई गई है, जो कि पूर्व समझौते का उल्लघंन है। साथ ही यह कथन किया कि देवस्थान विभाग से मंदिरों के मसलों का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नंही है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष के बहस तर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रार्थना–पत्र पर चाहे गये अनुतोष के कानूनी पक्ष पर भी गौर किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ***Nathadwards v/s L.Rs. of Raghavji & ors RRD 2012 Pg.No 708 में दिये गये निर्णय अनुसार "on the perusal of Rajasthan Tenancy Act, there is no provision which empowers the revenue courts to grant the relief of right to cultivate or right to manage the land as prayed. Both the reliefs appear to be of civil nature and it can only be claimed before the civil court and only the civil courts are competent to grant the requested relief to the craving appellant".***

उक्त न्यायिक दृष्टांतानुसार मंदिरों की खुदकाश्त आराजी परकाश्त करने संबधी विवादों में राजस्व न्यायालय द्वारा अनुतोष नंही दिया जा सकता है। साथ ही प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी द्वारा स्वयं व अप्रार्थी के मध्य पूर्व में हुये समझौते (राजीनामा) के उल्लघंन का कथन करते हुए अनुतोष चाहा गया।

पत्रावली पर उपलब्ध उक्त राजीनामे का अवलोकन किया गया ,प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य एक लिखित, निर्धारित समय पर देय धनराशि पर विभिन्न शर्तों सहित राजीनामा हुआ। दोनों पक्षों के मध्य **contract** (संविदा) माना जा सकता है। जिसकी पालना दोनों पक्षों द्वारा पूर्व में की जाती रही है। अब दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर उक्त संविदा (राजीनामा) के उल्लघंन का आक्षेप लगाया जा रहा है।

चूंकि संविदा उल्लंघन (**Breach of contract**) के मसले राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में नंही आते हैं, अतः श्रवणाधिकार के अभाव में प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को सुनाया गया।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा